

FORM-I
(For linear projects)

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli**

No.....

Dated..... 17. 6. 2019

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.75 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D. Pokhari for Construction of Chondi to Birsan Sera Motor Road (5.00 Km) in Chamoli district falls within jurisdiction of Gram Sabha Majyadi, Birsan Sera village in Pokhari tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.75 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बमोरी

Mrs. Swati S. Bhaduriya (I.A.S.)
(Official seal of the District Collector)
जिला अधिकारी
बमोरी

Divisional Forest Officer
Kedamath Wildlife Division
Gopeshwar

FORM-II

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE DISTRICT Chamoli (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.


A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.) District Magistrate Chamoli on date 17-01-2019 at time 17:00 Hrs. in which application claiming rights in total area measuring 1.75 hect. for the construction of Chondi to Birsan Sera Motor Road (5.00 Km.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee


After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 17-01-2019


Mrs. Swati S. Bhadoriya (I.A.S.)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee


जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली


चमोली


Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पोखरी रा०इ०का० चौण्डी - विरस्त सेरा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.75 हेठ सिविल/आरक्षित वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हेठ कुल भूमि 1.75 हेठ सिविल वन भूमि का लो०नि�०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, प्रैरवरी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, प्रैरवरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रा०इ०का० चौण्डी से विरस्त सेरा तक मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हेठ सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हेठ सिविल भूमि, अर्थात कुल 1.75 हेठ सिविल वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी) की दिनांक 06/10/10 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल राघवनवार्टुप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री <u>गोपाल राघवनवार्टुप</u>	उपजिलाधिकारी	<u>SDM CP/ उपखण्ड 9.00.50 चैम्बल</u>	अध्यक्ष
2-	श्री <u>रामेश्वर मार्गी</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	<u>उपखण्ड 9.00.50 चैम्बल</u>	सदस्य
3-	श्री <u>दुर्विंकी मंगलवान</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	<u>प्रैरवरी</u>	सदस्य/ सचिव
4-	श्री <u>प्रभागी देवी</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र	<u>प्रैरवरी</u>	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि रा०इ०का० चौण्डी से विरस्त सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हेठ सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हेठ सिविल भूमि, अर्थात कुल 1.75 हेठ सिविल वन भूमि का, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोपाल राघवनवार्टुप द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधिक रूप से वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत रा०इ०का० चौण्डी से विरस्त सेरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हेठ सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.27 हेठ सिविल भूमि, अर्थात कुल 1.75 हेठ सिविल वन भूमि लो०नि�०वि० पोखरी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
गोपाल राघवनवार्टुप
जिलाधिकारी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, वनमोत्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
गोपाल राघवनवार्टुप
तहसील प्रैरवरी
जनपद पोखरी

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इंटर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.75 है 0 सिविल/आरक्षित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव:-

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम:- मज्याड़ी-बिरसण सेरा।
तहसील-पोखरी जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में राजकीय इंटर कॉलेज चौण्डी से विरसण-सेरा मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु(1.75 है 0 सिविल/आरक्षित वनभूमि / वन पंचायत, नाप भूमि 1.75 है 0) अर्थात् कुल 3.5 है 0 भूमि का लो०नि०वि०/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनभूमि मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मज्याड़ी, बिरसण सेरा द्वारा दिनांक 22/5/18 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-मज्याड़ी, बिरसण सेरा के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पोखरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।


प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हो/-
ग्राम संघ प्रधान
ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहूर सहित
दिनांक- 22/5/18
चमोली



हो/-
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहूर सहित 22/5/18
सरपंच वन पंचायत
मौजा मज्याड़ी
जनपद-चमोली

श्रीमती सुनीता बुटोला
सदस्य
विधायक संसद



दिनांक 22/05/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मज्याडी

क्र०सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामसासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	सुल्तानपाल सिंह	सुल्तानपाल सिंह
२	श्री रघुवीर सिंह रावत	रघुवीर सिंह
३	पंकज सिंह रावत ३/० श्री तोता सिंह	पंकज सिंह तोता सिंह
४	उमेद सिंह रावत ५/० श्री इमाम सिंह	उमेद सिंह
५	श्री मनवरी लिंगरावत ३/० श्री जसपाल सिंह	मनवरी लिंगरावत
६	श्रीमती दुनिया देवी ७/० श्रीमती देवी	दुनिया देवी
७	अंजना देवी रावत ८/० सुल्तानपाल सिंह रावत	अंजना देवी रावत
८	मेघा देवी रावत ८/० हरप्रसाद सिंह रावत	मेघा देवी
९	संगीता देवी रावत ८/० राजेश्वरी सिंह रावत	संगीता देवी
१०	सुरवरी रावत ८/० राजेश्वरी सिंह रावत	सुरवरी रावत
११	श्री अरता सिंह रावत ९/० श्रीमती देवी	अरता सिंह
१२	खुम्पाल सिंह ५/० श्रीमती	खुम्पाल सिंह
१३	बलमीर सिंह ५/० श्रीमती	बलमीर सिंह
१४	श्री वर्णन सिंह रावत १० श्रीमती	वर्णन सिंह
१५	श्री लाल सिंह १० श्रीमती	लाल सिंह रावत
१६	श्री अजीत सिंह १० श्रीमती	अजीत सिंह
१७	श्री पद्मप्रिया १० श्रीमती	पद्मप्रिया
१८	जगदीशा सिंह १० श्रीमती	जगदीशा सिंह
१९	देव-देवी १० श्रीमती	देव-देवी
२०	ठड्याली १० श्रीमती	ठड्याली
२१	वीरन्द्री १० श्रीमती	वीरन्द्री

सुरक्षी है की

सरपंच वन पंचायत
मौजा मज्याडी



22	दीपकरिदं इ० लानस्ति०	दीपकरातो
23-	विनोकासेंहं इ० श्री अवतारालोहं	विनोकासेंहं
24	तजवृष्टि पूर्वं इ० गोपालिष्टिपन्ना०	Ram
25	बलुदेवीसिंहरावत इ० श्री नानाजिते०	बलुदेवीसिंह
26.	रमेशालिदं इ० भगतीसिंहरावत	रमेश सिंह
27	बलदेवसिंहं इ० घग्नाता० सिंहं	बलदेव
28	गोपीनाथिदं इ० जीर्णभूषणेश्वर नरोत्तमसिंहं	गोपीनाथ
29	प्रदीपसिंहं इ० मातवृ० सिंहं	प्रदीपसिंह
30	दिनेशसिंहरावत इ० कल्याणसिंह०	दिनेशसिंह
31	खेळा॒ द्वी॑ इ० क्लिशोलिहं रावत	खेळा॒ द्वी॑
32	आषा॒ द्वी॑ रावत इ० हरेन्द्रसिंहरावत	आषा॒ द्वी॑
33	रामप्रसाद॒ बलेठा० इ० नारायण॒ दल॒ बलेठा०	रामप्रसाद॒
34	पुदपाद्वी॑ इ० सत्यपालीसेंहं	पुदपाद्वी॑
35	लक्ष्मीद्वी॑ इ० जगदीसासिंहं	लक्ष्मीद्वी॑
36	दर्शनासेंहंरावत इ० भजनसिंहरावत	दर्शनासेंहंरावत
37	श्री मातवृ॒ सिंह० गजपालसिंहं	श्री मातवृ॒ सिंह०
38	शान्ति॒ द्वी॑ इ० आनंदलिसिंहं	शान्ति॒ द्वी॑
39	शान्ति॒ द्वी॑ इ० द्वार्षभृति०	शान्ति॒ द्वी॑
40	किनीता॒ द्वी॑ इ० वीरकृ॒ सिंह०	किनीता॒ द्वी॑
41	श्री मोहनसेंहं राम॒ श्री० व्याख्याति०	मोहनसेंहं
42	मानी॒ द्वी॑ इ० गुलमुखिदंरावत	मानी॒ द्वी॑
43	लक्ष्मण॒ पूर्वं इ० कलमोठ॒ पूर्वं	लक्ष्मण॒
44)	केषुप॒ काशा॒ द्वी॑ त्रिलोकी॒ वचनामि॒	केषुप॒ काशा॒ द्वी॑ त्रिलोकी॒ वचनामि॒
45	सुरेशी॒ द्वी॑ इ० गुरुभृति॒	(सुरेशी॒) द्वी॑
46	उद्धव॒ द्वी॑	उद्धव॒
47)	वीरभरतसिंह०	वीरभरतसिंह०

सुरेशी॒ द्वी॑

सरपंच घन पंचायत



